अध्याय I: परमाणु ऊर्जा विभाग

यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

1.1 गौण उत्पाद की गैर वसूली के कारण हानि

तूरम दीह मिल द्वारा मैग्नेटाइट हेतु गौण उत्पाद वसूली संयंत्र की स्थापना में देरी के कारण मार्च 2009 से नवम्बर 2013 की अवधि के दौरान ₹ 13.47 करोड़ की हानि हुई।

यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया (कम्पनी) ने सिंहभूमि पूर्व, झारखण्ड जिले में तूरम दीह में यूरेनियम अयस्क खान स्थापित करने के लिए सलाहकार के रूप में मै. डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड (डीसीपीएल) का नियुक्त किया (1982)। पर्यावरण एवं वन मंजूरी के बाद अप्रैल 1989 में भारत सरकार (जीओआई) द्वारा डीसीपीएल द्वारा बनाई गई (1984) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अनुमोदन दिया गया। तदनुसार परियोजना शुरू की गई लेकिन मई 1992 में सम्पूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की समीक्षा करने के पश्चात भारत सरकार द्वारा तूरम दीह खनन की गतिविधियों को रोक दिया गया था। तूरम दीह को पुन: शुरू करने के लिए भारत सरकार से 2001 के दौरान कम्पनी को दोबारा अनुमोदन मिला। कम्पनी ने तूरम दीह प्रक्रिया संयंत्र की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अद्यतित करने के लिए फिर से डीसीपीएल को संबद्ध किया तथा इसके निदेशक मंडल ने दिसम्बर 2002 में अद्यतित रिपोर्ट को मंजूरी दी। यूरनेनियम संयंत्र का निर्माण कार्य सितम्बर 2003 से शुरू किया गया। संयंत्र का ट्रायल जून 2007 में शुरू हुआ और मार्च 2009 में ₹ 343.27 करोड़ की लागत से संयंत्र चालू किया गया थ। यूरेनियम के उत्पादन हेतु संयंत्र में खपत हुए अयस्क में मैग्नेटाइट भी था। कम्पनी ने तूरम दीह से सृजित टेलिंग्स* से मैग्नेटाइट निकालने के लिए एक गौण उत्पादन पुनर्प्राप्ति संयंत्र लगाने के लिए ₹ 20 करोड़ का निवेश करने का निर्णय लिया (नवम्बर 2011) जिसे भारत सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई (मई 2013)।

** टेलिंग्स, अयस्क से उपयोगी खनिज निकालने के बाद बची हुई खनिज हैं।*

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- कम्पनी ने झारखण्ड के सिंहभूमि क्षेत्र में 1968 में जादूगुडा में पहले ही एक यूरेनियम संयंत्र स्थापित किया था, जिससे अयस्क में 3.2 प्रतिशत मैग्नेटाइट निहित था। इस प्रकार, कम्पनी ने 1982 में एक मैग्नेटाइट पुनर्प्राप्ति संयंत्र का निर्माण किया और इसके बाद 1984 में इसे उन्नत किया । बाद में 2003 में तूरम दीह खान से निकाला गया अयस्क जादूगुडा मिल में उपयोग किया गया था।

- मैग्नेटाइट पुनर्प्राप्ति संयंत्र लगाने के निर्णय में देरी के परिणामस्वरूप मार्च 2009से नवम्बर 2013 की अवधि के दौरान तूरम दीह की टेलिंग्स से मैग्नेटाइट न निकालने के कारण ₹ 13.47 करोड़ की हानि हुई। मैग्नेटाइट पुनर्प्राप्ति सुविधा के चालू होने तक मैग्नेटाइट की बिक्री न कर पाने के कारण राष्ट्रीय संसाधनों का लगातार दुरूपयोग हेागा और कम्पनी को लगातार हानि उठानी पड़ेगी, जबकि यह एक अच्छा बाजार है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2013) में अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि:

- 150 किमी के क्षेत्र में फैले सम्पूर्ण सिंहभूमि थ्रस्ट में आर्थिक रूप से वसूलीयोग्य पैमाने पर मैग्नेटाइट की उपस्थिति का हस्तक्षेप गलत है। सीमित क्षेत्र में किसी धातु की आर्थिक पुनर्प्राप्ति विभिन्न खनिजों और इसके प्रकार के समानुपातिक वितरण पर निर्भर करेगा। तूरम दीह प्रक्रिया संयंत्र को आपूर्त अयस्क की खनिज शास्त्र में मैग्नेटाइट की उपस्थिति 2011 में सुनिश्चित की गई थी।

- लीचिंग (टेलिंग्स के रूप में ज्ञात) के पश्चात् ठोस स्ट्रीम के साथ-साथ खनन क्षेत्र में मैग्नेटाइट की उपलब्धता की पुष्टि करना आवश्यक है। संयत्र की वास्तविक शुरूआत की आवश्यकता थी ताकि नमूने लेने और विश्लेषण करने के लिए लंबी अवधि हेतु परिचालन संयंत्र से नमूना लिया जा सकता। यह वास्तविक कार्यदशा में वाणिज्यिक निवेश के आर्थिक औचित्य का भरोसा देता है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योकि:

- कम्पनी को सिंहभूमि थ्रस्ट क्षेत्र में मैग्नेटाइट होने के बारे में जानकारी थी और 1982 से इसके जादूगुडा संयंत्र से मैग्नेटाइट भी निकाल रही थी।

- तूरम दीह खान से निकाले गए अयस्क का 2003 से 2009 के बीच जादूगुडा मिल में उपयोग किया गया था जिससे यह स्थापित होता है कि कम्पनी 2003 से तूरम दीह में मैग्नेटाइट सामग्री के बारे में जानती थी।

- तूरम दीह संयंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया स्ट्रीम का ट्रायल जून 2007 में शुरू किया गया था और मार्च 2009 में चालू किया गया। दिए गए तथ्य कि तूरम दीह अयस्क का 2003 से जादूगुडा मिल में उपयोग किया जा रहा था, यह उत्तर कि तूरम दीह प्रक्रिया संयंत्र को आपूर्त अयस्क की खनिज शास्त्र में मैग्नेटाइट की उपस्थिति 2011 में ही सुनिश्चित हुई थी, औचित्यपूर्ण नहीं है।

- ''पूर्वी सिंहभूमि और आस-पास के क्षेत्रों में जमा खनिज'' के शीर्षक वाली भारत सरकार की रिपोर्ट जो 1937 में प्रकाशित हुई थी, में बताया गया कि मैग्नेटाइट, क्षेत्र में सबसे प्रचुर मात्रा में था और सिंहभूमि के लगभग सभी चट्टानों में मौजूद था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा 1977 में तैयार अध्ययन रिपोर्ट में सिंहभूमि थ्रस्ट क्षेत्र के खनिज अपरूपण क्षेत्र में मैग्नेटाइट की मौजूदगी का उल्लेख था।

- 1937 से किए गए विभिन्न अध्ययनों से कम्पनी सम्पूर्ण सिंहभूमि थ्रस्ट बेल्ट में आर्थिक रूप से पुनर्प्राप्ति पैमाने पर मैग्नेटाइट के मौजूदगी के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। कोयला प्रक्षालनों, आर्थिक रूप से पुनर्प्राप्ति पैमाने आदि से मैग्नेटाइट की उपयुक्त मांग से संबंधित विस्तृत अध्ययनों के पश्चात् कम्पनी ने 1982 में जादूगुडा में एक पूर्ण पैमाना मैग्नेटाइट पुनर्प्राप्ति संयंत्र लगाया। निवेश से अधिकतम संभव लाभ उठाने के क्रम में कम्पनी तूरम दीह के गौण उत्पाद पुनर्प्राप्ति संयंत्र में निवेश का शीघ्र निर्णय लेने और लंबी अवधि से अर्जित ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाने में विफल रही।

इस प्रकार, तूरम दीह में गौण उत्पाद पुनर्प्राप्ति सुविधा स्थापित करने के विलम्बित निर्णय के कारण ₹ 13.47 करोड़ की हानि हुई जिसे समुचित योजना के द्वारा रोका जा सकता था।